न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 7/2020
GCMS NO. : 2020/00018

–:: प्रार्थी ::–	**बनाम**	**–:: अप्रार्थीगण ::–**
1. मूलाराम पुत्र रामलाल जाति–मेघवाल, निवासी–लिखमणिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. मोहनराम पुत्र भंवरूराम 2. अमृतलाल पुत्र मोहनराम 3. बंशीलाल पुत्र भंवरू 4. परमाई पत्नि मोहनराम 5. परमाई पत्नि बंशीलाल जातियान–मेघवाल, निवासीगण–लिखमणिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 6. पटवारी पटवार हल्का केकीन्दडा तहसील–जैतारण जिला–पाली। 7. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 14/02/2020

उपस्थित:. 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 31/08/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा केकीन्दड़ा, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज0) में सायल की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा बारानी दोयम की आई हुई है। जिस पर सायल का लगातार कब्जा काश्त शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 551 गै.मु. नाडा (जलमग्न) की कृषि भूमि आई हुई है जिस पर वर्तमान में जानवरों के पीने के लिए पानी भरा हुआ है। तथा कुछ जमीन पर [illegible] हुये है। सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 पर [illegible] 551 की गै.मु. नाडे की कृषि भूमि में स्थित खसरे से [illegible] अपने खातेदा[illegible] कब्जे काश्त की भूमि में आते जाते है। सायल के खसरा नम्बर 552 की कृषि भूमि में सायल के अलावा श्रवणराम, ओमाराम, अर्जुनराम व गीतादेवी भी [illegible]तेदार काश्तकार है। जिन्होने अपनी अपनी इच्छा अनुसार 22 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि पर फसल बोने के लिए विभाजन कर रखा है। सायलगण के हिस्से की कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर गैरसायलान बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करना चाहते है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 551 की भूमि पर अपना कब्जा बताकर सायल के हक हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का दिनांक 28.06.2019 को प्रयास करने पर सायल ने ग्राम पंचायत केकीन्दड़ा को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, तथा खसरा नम्बर 551 व 552 की भूमि पर गैरसायलान द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण को रोके जाने का निवेदन किया था। इस बात की जानकारी गैरसायलान को होने पर गैरसायलान जो कि संख्या में ज्यादा है। सायल को बंदूक दिखाकर धमकी दी कि खसरा नम्बर 551 व 552 की कृषि भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लेगें। तथा सायल को यह भी धमकी दी कि हमारे द्वारा अवैध तरीके से किये जाने वाले कब्जे में दखलंदाजी करने पर बलात्कार के झूठे मुकदमें में फसा देगें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 551 व 552 पास-पास में स्थित होने से गैरसायलान के बिना किसी कानूनी हक व अधिकार के कब्जा करना चाहते है। खसरा नम्बर 551 कृषि भूमि जो कि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन जलमग्न के रूप में दर्ज है जिस पर गैरसायलान को किसी प्रकार का कब्जा करने एवं अपनी झोपड़िया बनाकर निवास करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा करने के आशय से सायल व उसके परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौच करते रहते है। तथा गैरसायलान को सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा व अतिक्रमण करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। सायल के पास खसरा नम्बर 552 की कृषि भूमि मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 551 में स्थित रास्ते की भूमि का उपयोग-उपभोग करते है जिस पर गैरसायलान कब्जा करते है। या कच्चा पक्का निमार्ण करते है तो सायल अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा। तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि पर आने जाने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा सायल द्वारा हल्का पटवारी केकीन्दडा को व ग्राम पंचायत केकीन्दड़ा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। सायल की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि पर गैरसायलान द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया जाता है तो सायल अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा। सायल लगातार शांतिपर्वक तरीके से कब्जा काश्त होने से बहुत ही मजबूत व प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा करने अतिक्रमण करने से रोका जाना कानूनी आवश्यक होने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें, तथ्यों परिस्थितियों, दस्तावेजात के आधार पर सायल का मामला बखूबी साबित है। सायल के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान बिना किसी हक व अधिकार के यदि सायल के रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते है या कच्चा पक्का निमार्ण कार्य करते है तो सायल को अपूरणीय

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:40 IST
Reason: SelfAttested

क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। गैरसायलान को सायल के हक हिस्से की आराजी व उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी, बाधा व रोकटोक पैदा करने से रोकने के लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के श्रीमान के समक्ष सायल की और से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा की कृषि भूमि पर कब्जा करने, अतिक्रमण करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को रोके जाने का आदेश प्रदान करावें। साथ ही सायल इस भूमि का उपयोग उपभोग करे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य में काम में लेवे एवं अपने खेतो में आने जाने तथा आवागमन के काम में लेवे तो उसमें भी गैरसायलान किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण कर कच्चा या पक्का निमार्ण कार्य नहीं करे एवं न ही सायल के हक हिस्से की आराजी में गैरसायलान स्वयं व उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार व परिवार के सदस्य, कारीगर मजदूर आदि रोकटोक व बाधा, अड़चन, दखलंदाजी, व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, ऐसा करने से गैरसायलान व अन्य को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण के लिए रोका जावें। एवं खसरा नम्बर 552 की कृषि भूमि में सायल व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा खसरा नम्बर 551 की भूमि में से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने पर गैरसायलान द्वारा की जाने वाली बाधा, अड़चन व दखलंदाजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने का आदेश फरमावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें। कि खर्चा मुकदमा सायल को गैरसायलान से दिलाया जावें । कि अन्य कोई सहायता जो सायल गैरसायलान से प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलाई जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 2,4 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1,3 व 5 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** वादपत्र, हस्तगत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आसपास खसरा नम्बर 551 किस्म गै.मु.नाडा व खसरा नम्बर 552 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा के सम्बन्ध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2075-2078 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 551 की किस्म गै. मु. नाडा दर्ज है। प्रार्थी ने यह कथन किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 551 में स्थित रास्ते का उपयोग-उपभोग करते है जिस पर गैरसायलान कब्जा करते है। प्रथम तो प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर के खातेदार नहीं है एवं केवल खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय यदि सरकारी भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण है तो प्रार्थी को राजस्व अधिनियम,1956 के सुसंगत धाराओ में सक्षम स्तर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। साथ ही ग्राम केकिन्दडा के खसरा नम्बर 552 की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी ने यह कथन किया है कि गैरसायल सायल के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने, अतिक्रमण करने को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे, परन्तु प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 552 के कितने भाग पर और किस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ना ही इस संबंध में कोई विश्वासजनक दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किये है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है साथ ही प्रार्थी का सिवाई चक भूमि (खसरा नम्बर 551 किस्म गै.मु. नाडा) में किस प्रकार सुविधा का संतुलन निहित है? यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि खसरा नम्बर 551 जो कि प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग करते है कदीमी रास्ता है या नहीं? यदि रास्ते के संबंध में कोई विवाद है या उक्त खसरा नम्बर 551 पर अतिक्रमण होने से संबधित कोई प्रकरण है तो प्रार्थीगण द्वारा विधि की सुसंगत धाराओं के तहत सक्षम स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है साथ ही प्रार्थी द्वारा इस बिन्दू को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि हस्तगत प्रकरण में उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि-संगत एवं उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:40 IST
Reason: SelfAttested